

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी-श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 37/2025

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

किशनाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी	1. हरचंद पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी 2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी
--	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 25.03.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि खेत खसरा संख्या 782/616 रकबा 5.6680 हैक्टर, खसरा संख्या 781/616 रकबा 0.1164 हैक्टर भूमि मौजा पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 09.10.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे बाद सुनवाई के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।


लिहाजा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 782/616 रकबा 5.6680 हैक्टर, खसरा संख्या 781/616 रकबा 0.1164 हैक्टर भूमि मौजा

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं सं	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	किशनाराम पुत्र भेराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पायला कला	782/616	2.8922	बा.सो.	0.23	हरा
2	हरचंद पुत्र घमण्डाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पायला कला	782/616	2.8922	बा.सो.	0.23	गुलाबी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी